

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

ई-मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/- ₹ 31 मार्च, 2012 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमारी पत्रिका पहुँचते-पहुँचते तक आपके शीतगृह में आलू की लोडिंग समाप्ति की ओर आ चुकी होगी। अभी तक ठण्डा मौसम रहने के कारण आलू की लोडिंग पूरी ठण्डे समय में सम्पन्न हुई है, अतः इस वर्ष आलू के खराब होने की सम्भावना कम है परन्तु फिर भी शीतगृहस्वामियों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे महँगे आलू को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे।



जैसा पूरे प्रदेश से समाचार मिले हैं, उन समाचारों के आधार पर, उत्तर प्रदेश में आलू का भण्डारण 75 से 80 प्रतिशत माना जा सकता है। आगरा क्षेत्र में भण्डारण 80 से 85 प्रतिशत, फर्रुखाबाद 75 से 80 प्रतिशत, मध्य उत्तर प्रदेश 60 से 65 प्रतिशत व पूर्वी उत्तर प्रदेश 70 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्यतः बदायूँ, बरेली, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, गोरखपुर के जनपद विशेष रूप से कम उत्पादन से प्रभावित हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे इलाहाबाद के आँकड़े अभी सही नहीं मिल पाए हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि, आलू के प्रति पौधे का औसतन उत्पादन, इस वर्ष सामान्य उत्पादन से बीस प्रतिशत कम हुआ इसी कारण आलू की कमी महसूस की गई और शीतगृह खाली रह गए।

इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आलू के भाव में गिरावट नहीं आनी चाहिए और शीतगृहों से निकासी भी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए परन्तु फिर भी हमें बहुत ज्यादा तेजी का ध्यान नहीं रखना चाहिए और समय रहते ही आलू के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा आप जानते ही हैं कि आलू के भाव केवल भण्डारित आलू के आधार पर नहीं चलते वरन् नई फसलों के उत्पादन से निर्धारित होते हैं।

इण्डिया कोल्ड स्टोरेज शो 2012 के संदर्भ में :

कृपया ध्यान दें कि 26, 27, 28 अप्रैल, 2012 को इण्डिया कोल्ड स्टोरेज शो 2012, इण्डिया एक्सपो सेन्टर, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। आशा है कि यह शो कोल्ड स्टोरेज उद्योग के लिए बहुत लाभकारी होगा।

यह शो मंच कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमें आशा है कि बड़ी संख्या में शीतगृहस्वामी इसे देखने पहुँचेंगे।

इस शो के लिए मंच कम्युनिकेशन्स ने ग्रेटर नोएडा में होटल में फ्री ठहरने की व्यवस्था भी की है जिसमें 100 व्यक्ति तक, एक कमरे में दो के हिसाब से, ठहर सकेंगे। इसलिए जो भी शीतगृहस्वामी इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहे वह तुरन्त अपनी बुकिंग करवा लें। यह बुकिंग **प्रथम आवक प्रथम पावक** के सिद्धान्त पर की जायेगी। प्रथम आवक के कारण यह उचित होगा कि आप अपनी बुकिंग की सूचना तुरन्त भेज दें और उसे कन्फर्म भी करवा लें। इसी होटल में 28 तारीख को फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की भी मीटिंग आयोजित की गई है जिसकी पूरी सूचना हम पिछले अंक में दे चुके हैं। यहाँ उस मीटिंग के बारे में और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

होटल बुकिंग के बारे में किसे संपर्क करें :

श्री मोहित बुद्धिजा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मंच कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. ए-78, प्रथम तल, सेक्टर-4 नोएडा-201301, मोबाइल : 09999689225 ई-मेल : mohit@manchcommunications.com, info@manchcommunications.com

इस शो में जाने के लिए मंच कम्युनिकेशन्स ने बसों की व्यवस्था भी की है जिसकी जानकारी आप उनसे सम्पर्क करके ले सकते हैं। हमें उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस प्रकार है :-

Visitor Shuttle Programme

Dear Visitor,

We welcome you to avail 'Visitor Shuttle Programme' during your visit to India Cold Storage Show 2012, from 26th to 28th April 2012 at India Expo Centre, Near Pari Chowk, Greater Noida. We encourage you to make your travel convenient and comfortable by using these shuttles during the event days.

Kindly go through the 'Shuttle Plan' mentioned below carefully and use the facility of complimentary shuttles to reach the venue.

VISITOR SHUTTLE PLAN

To India Expo Centre	Shuttle Timings		
Pragati Maidan Metro Station	09:00	10:00	11:00
IGI Terminal 1D (Easy Cabs counter)	09:00	10:00	11:00
IGI Terminal T3 (Meru Cabs counter)	09:00	10:00	11:00
Botanical Garden Metro Station	Every half an hour from 9:30 am onwards (Metro station to venue)		
From India Expo Centre	Shuttle Timings		
Pragati Maidan Metro Station	16:00	18:00	
IGI Terminal 1D	16:00	18:00	
IGI Terminal T3	16:00	18:00	
Botanical Garden Metro Station	Every hour starting from 1400 hr onwards (venue to metro station)		

Visitor Shuttle Help Desk

Prashant Narain

+91-8130312678

स्टेशन या एयरपोर्ट पहुँचने पर आप सहायता के लिए श्री प्रशांत नारायण, मो : 8130312678 से सम्पर्क कर सकते हैं।

ठहरने का स्थान :

Hotel Glow by Zinc

Plot No. 9, Knowledge Park III,
Near Globus IT Park, Greater NOIDA
Mobile: 9654657817
Landline No. : 0120-6451000
Web : <http://www.glowbyzinc.com>

यह होटल कोल्ड स्टोरेज शो से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर है।

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स आफ इण्डिया की मीटिंग मे निम्न एजेण्डा रखा गया है जिस पर चर्चा की जा सकती है।

1. Transportation of Potatoes, Bananas, Oranges, Apples is getting very costly every day, also suitable transport is not available which may reduce the damage to the horticulture produce and make quick delivery of goods.
2. Get accurate information regarding the storage details of the agriculture produce in cold storages all over India on regular basis.
3. Preparation of detailed Cold Storage Directory, as already prepared directory by Federation through Cold Storage Association Uttar Pradesh is not covering cold storages which are storing meat, fish, milk products etc. and do not come under any State Associations.
4. To discuss about the shelf life of various potato varieties stored in cold storages as we are getting various complaints for early rotting of certain varieties. Certain stored varieties are developing diseases in the stored potato after few months of storage.
5. To work out the cost of storage of various products in cold storage and discuss the economics with the present storage rates.
6. Knowledge of Power Saving Devices and latest developments in Refrigeration Industry.
7. Election of the Office Bearers of the Federation.
8. Any matter suggested by members.

प्रोग्राम :

- प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे तक सुबह की चाय
- प्रातः 10.30 बजे मीटिंग प्रारम्भ
- दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक लंच
- दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक मीटिंग
- सायं 4.00 बजे चाय/मीटिंग समाप्त

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सम्पर्क कर सकते हैं।

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स आथॉरिटी Food Safety & Standards Authority of India द्वारा रजिस्ट्रेशन व लाइसेंसिंग:

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स आथॉरिटी ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में हम अपनी जनवरी, 2012 पत्रिका में काफी विस्तार से लिख चुके हैं किन्तु अनेक सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में एक्ट के तथ्यों पर आधारित और जानकारी माँगी है। अतः हम यहाँ पर इस एक्ट में दिए गए रेगुलेशन की फोटो कापी प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि शीतगृह जो केवल कृषि उत्पाद भण्डारण का काम करते हैं इस एक्ट के अन्दर नहीं आते। मुख्यतः यह एक्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है।

SCHEDULE 1

[See Regulation 2.1.2 (3)]

List of food business falling under the purview of Central Licensing Authority

- I. Dairy units including milk chilling units equipped to handle or process more than 50,000 litres of liquid milk/day or 2500 MT of milk solid per annum.
- II. Vegetable oil processing units and units producing vegetable oil by the process of solvent extraction and refineries including oil expeller unit having installed capacity more than 2 MT per day.

- III. All slaughter houses equipped to slaughter more than 50 large animals or 150 or more small animals including sheep and goats or 1000 or more poultry birds per day.
- IV. Meat processing units equipped to handle or process more than 500 kg of meat per day or 150 MT per annum.
- V. All food processing units other than mentioned under (I) to (IV) including relabellers and repackers having installed capacity more than 2 MT/day except grains, cereals and pulses milling units.
- VI. 100 % Export Oriented Units.
- VII. All Importers importing food items including food ingredients and additives for commercial use.
- VIII. All food business operators manufacturing any article of food containing ingredients or substances or using technologies or processes or combination thereof whose safety has not been established through these regulations or which do not have a history of safe use or food containing ingredients which are being introduced for the first time into the country.
- IX. Food Business Operator operating in two or more states.
- X. Food catering services in establishments and units under Central government Agencies like Railways, Air and airport, Seaport, Defence etc.

बिकाऊ है

एक ट्रांसफार्मर अच्छी व चालू कण्डीशन में बिकाऊ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Company Name : Globe Rectifiers | <input type="checkbox"/> Volts at : HV-33000 |
| <input type="checkbox"/> Model : 2008 | <input type="checkbox"/> No Load : LV-433 |
| <input type="checkbox"/> KVA : 630 | <input type="checkbox"/> AMP : HV-10.02, LV-840.5 |

सम्पर्क करें :

अशोक अग्रवाल

गर्ग राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज यूनिट
घुंगचै रोड, पूरनपुर-262122 (पीलीभीत) उत्तर प्रदेश।
मोबाइल : 9720001319, 9412297218

गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन :

जैसा कि हम अपनी पिछली पत्रिका मे लिख चुके हैं कि गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक मीटिंग फरवरी माह 2012 में राजस्थान, उदयपुर में आयोजित की। वहाँ पर इस एसोसिएशन द्वारा मशीनरी विक्रेताओं के लिए बहुत ही सुन्दर तरीके से बाजार सजाया गया था। उस बाजार के उद्घाटन का हम एक चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे है :-



सौजन्य से – गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन

(7) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2012

कुछ ध्यान देने योग्य सावधानियाँ

शीतगृहस्वामियों को आलू का भण्डारण सत्र शुरू होते ही अपने शीतगृहों में इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए :-

1. ध्यान दें कि पहुँच की पक्की रसीद जितनी जल्दी हो सके भण्डारणकर्ताओं को देने की कोशिश करें। जो नहीं ले गए हैं या ले जा रहे हैं उन्हें पत्र द्वारा सूचित भी कर दें।
2. बीमा पालिसी को हमेशा कार्यरत रखें। यदि तारीख निकल गई हो तो पुनः नया करवा लें। यह भी ध्यान रखे कि बीमा सही मात्रा का हो। कम मात्रा के बीमे पर प्रायः क्लेम नहीं मिलते। बीमे की पालिसी से यह जरूर चेक कर लें कि जो भी मशीनरी का बीमा आपने करवाया है वह उस लिस्ट में शामिल है या नहीं।
3. यदि आपके यहाँ अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसका आयल जरूर चेक करवा लें। वह पूरा निशान तक भरा होना चाहिए।
4. पावर फैक्टर पैनल को भी चेक करते रहे।
5. बंकर क्वायल के ऊपर लगे हुए पखों को जरूर चेक करें कि वह सही हवा दे रहे हैं या नहीं। बंकर क्वायल पर मोटी बर्फ नहीं जमनी चाहिए। बहुत ही हल्की बर्फ का आना और तुरन्त उड़ जाना बहुत अच्छा माना जाता है।
6. लोडिंग के बाद कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अतः इसे सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ऊपर की खिड़की खोल कर व दरवाजे खोल कर दो घंटे कुछ दिन निकालते रहे।
7. शीघ्र पल्टाई के लिए भी तैयार रहें क्योंकि इससे आपको सही गैलरी और हवा के लिए जगह छोड़ने में बड़ी मदद मिलती है।
8. दीवारों से कम से कम 9 इंच का फासला रखकर ही आलू की छल्लियाँ लगाए।

विद्युत सम्बन्धी :

जनवरी, 2012 अंक का शेष

(2) यदि अधिशासी अभियन्ता द्वारा 7 दिन के अन्दर बिल का संशोधन नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत उपभोक्ता निवारण फोरम (CGRF) के सम्मुख करेगा। यदि इसके बाद भी उसका समाधान नहीं होता है अथवा फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के समक्ष कर सकता है।

(ख) अनाधिकृत विद्युत का प्रयोग :

(1) यदि कोई उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 के अन्तर्गत अनाधिकृत विद्युत उपयोग में लिप्त पाया जाता है तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा फाइनल असिसमेन्ट से पूर्व उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है वह अपनी बातें लिखित रूप में अधिशासी अभियन्ता को दें। सुनवाई के उपरान्त ही अधिशासी अभियन्ता फाइनल असिसमेन्ट का बिल उपभोक्ता को देगा।

(2) यदि उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनाये गये फाइनल असिसमेन्ट से संतुष्ट नहीं है तो वे इसकी अपील मण्डलायुक्त के अधीन समिति के समक्ष करेंगे जो कि दो सदस्यीय होती है।

(ग) सीधे विद्युत चोरी के केस में :

(1) यदि कोई उपभोक्ता विद्युत अधिशासी 2003 की धारा-135 अन्तर्गत सीधे विद्युत चोरी में लिप्त पाया जाता है अथवा विभाग द्वारा जानबूझ कर उसको फँसाया जाता है इस स्थिति में भी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को फाइनल असिसमेन्ट से पूर्व सुनवाई का मौका दिया जायेगा उसके बाद ही फाइनल असिसमेन्ट का बिल अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत किया जायेगा। अतः उपभोक्ता को अपनी बातें लिखित रूप में अधिशासी अभियन्ता को देना चाहिए। परन्तु किसी भी स्थिति में चोरी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चोरी को सिद्ध करना विभाग की जिम्मेदारी है ना कि उपभोक्ता की।

- (2) अधिशासी अभियन्ता द्वारा तैयार किए गए फाइनल असिसमेन्ट की अपील सामान्यतः ए.डी.जे.-11, जो कि सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किये गये हैं, के सम्मुख की जा सकती है।
- (3) कम्पनी की सलाह के अनुसार उपभोक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद-126 / 127 के अन्तर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत मा. उच्च न्यायालय में याचिका (Writ) दाखिल करनी चाहिए।
23. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि विभाग से वास्तविक लोड ही स्वीकृति करायें अन्यथा अधिक डिमाण्ड आने पर तीन गुना दण्ड विभाग द्वारा लगाया जाता है जबकि किसी माह भार कम भी आता है तो विभाग द्वारा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत चार्ज किया जाता है।
- कोई भी उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार लोड को घटा सकता है अतः ऐसे उपभोक्ता जिनका भार वास्तविक लोड से कहीं ज्यादा है उनको सलाह दी जाती है कि वास्तविक भार के अनुसार अपना लोड घटा लें।
24. समस्त उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपनी इकाई में निम्न विवरण प्रतिदिन सुरक्षित रखें :-
- (क) प्रतिदिन विद्युत खपत प्रतिदिन सुरक्षित रखें।
- (ख) प्रतिदिन खपत की गयी विद्युत का विवरण।
- (ग) प्रतिदिन पावर फैक्टर का विवरण।
- (घ) प्रतिदिन इकाई के ब्रेकडाउन का विवरण।
- यह समस्त विवरण आपको विभाग से compensation लेने में काम आयेंगे।

हमारी कम्पनी उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के समस्त सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती है एवं शुक्रगुजार है कि इनके द्वारा हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उपरोक्त विवरण बहुत ही संक्षिप्त है यदि किसी सदस्य को कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिये गये मोबाइल नम्बरों पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वी.के. श्रीवास्तव
09450021414

रमाशंकर अवस्थी
09415026874, 08936395000

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, Rampada Paul - Vice President (North), Ashish Guru, Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., B.L. Jaju - Dir. Incharge and Finance Controller, S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, Rajesh Goyal - National Coordinator, Gubba Nagender Rao - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में औसत भण्डारण 75 से 80 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। यहाँ प्रायः भण्डारण समाप्ति की ओर है फिर भी अपुष्ट समाचारों से यह पता लगा है कि कुछ अच्छी मात्रा में आलू डम्प में भी रह गया है। यानी किसानों ने अपने घरों पर रोक लिया है। फिर भी इसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि जो अप्रैल माह के आगे जा पाए। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में आलू का उत्पादन 60 प्रतिशत तक ही रह गया है। अतः इन जनपदों में शीतगृह 55 से 65 प्रतिशत ही भर पा रहे हैं। आगरा क्षेत्र में सबसे अधिक भण्डारण हुआ है और भण्डारण अनुमानतः 85 प्रतिशत तक लगाया जा रहा है। आलू की क्वालिटी की कोई शिकायत नहीं मिली है और भण्डारण भी ठण्डे मौसम में हुआ है। अतः अच्छी किस्म का आलू हर समय उपलब्ध रहेगा।

पूरा भण्डारण औसतन 500 रूपए कुन्तल से लेकर 750 रूपए कुन्तल के बीच में रहा है हो सकता है कुछ जगह और ऊँचे रेट का भण्डारण भी हुआ हो। इस समय आलू का बाजार स्थिर है और सामान्य रूप से बगैर बारदाने के 750 रूपए के आसपास चल रहा है। आलू की उपलब्धता भी न के बराबर रह गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अवश्य कुछ जगह लोडिंग तेजी से चल रही है। इस क्षेत्र में आलू की फसल देर से तैयार होती है।

अन्य प्रान्तों से हमें जो समाचार मिले हैं उसमें गुजरात का उत्पादन सबसे अधिक रहा है और वहाँ पर शीतगृहों की पूरी क्षमता भर जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। यह हाल हरियाणा का भी है। पंजाब में फसल सही होने के बाद भी अन्य प्रान्तों की खरीदारी होने के कारण शीतगृहों की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में वैसे तो अच्छा भण्डारण हुआ है परन्तु फिर भी वेफर आलू रखने वाले शीतगृहों में कुछ क्षमता खाली बताई जा रही है। बिहार में भण्डारण 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भण्डारण का औसत 80 से 85 प्रतिशत का माना जा रहा है। अभी लोडिंग पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

आलू की पैदावार का विश्व रिकॉर्ड :

बिहार के नालंदा जिले में दो किसानों ने जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके एक हेक्टेयर भूमि में 719 क्विंटल आलू उगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ



विधानसभा में इन किसानों को बधाई देते हुए बताया कि दरवेशपुरा गाँव के इन दोनों किसानों ने जैव-उर्वरकों का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड उत्पादकता हासिल की है। इससे पहले हॉलैंड के एक किसान ने 535 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू उगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस साल के शुरु में इसी गाँव के कुछ किसानों ने श्रीविधि तकनीक का इस्तेमाल करके प्रति हेक्टेयर 224 क्विंटल धान उगाने का भी रिकॉर्ड बनाया था।

यह जानकारी हमें श्री हंसमुख जैन गांधी, सेक्रेट्री, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भेजी है।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....
.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित